भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 91

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 03 फरवरी, 2025/14 माघ,1946 (शक) को दिया जाना है)

नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में कागज की नई मशीन की स्थापना

91. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में कागज की नई मशीन की स्थापना के साथ-साथ प्रतिभूति मुद्रणालय के विकास का कोई प्रस्ताव/योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) की इकाई प्रतिभूति कागज कारखाना (एसपीएम), नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश, करेंसी नोटों और अन्य प्रतिभूति उत्पादों के लिए कागज के निर्माण/उत्पादन का कार्य करता है। भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। एसपीएम, नर्मदापुरम के अलावा बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) मैसूर भी बैंक नोटों के लिए कागज निर्माण का कार्य करता है। बीएनपीएमआईपीएल, भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल), जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सहायक कंपनी है, का एक संयुक्त उद्‌यम है।

प्रतिभूति कागज कारखाना, नर्मदापुरम में एक नई कागज मशीन की स्थापना के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मौजूदा कारखाने की क्षमता वृद्‌धि संबंधी कोई भी निर्णय परियोजना की संभाव्यता और व्यवहार्यता, मौजूदा संयंत्र और मशीनरी की स्थिति, भविष्य में मुद्रा नोटों की आवश्यकता, डिजिटल लेनदेन की प्रवृत्ति, अन्य कारखाने के विस्तार की तुलना में उपयुक्तता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। सरकार, आरबीआई और अन्य हितधारकों के परामर्श से, इस मामले में समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए इन कारकों को ध्यान में रखती है।

******